न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 165/2024

उनवान

1 कमला पत्नी रामगोपाल,
2. रामअवतार,
3. शिवप्रसाद,
4. सीता देवी पि. रामगोपाल जाति साधू नि. दिलवाडी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1 जतन पत्नी भंवरलाल,
2. महेन्द्र पुत्र भंवरलाल,
3. शिवजी पुत्र भंवरलाल, जाति गुर्जर नि. दिलवाडी, नसीराबाद,
4. लक्ष्मी पुत्री भंवरलाल, पत्नी रामकिशन,
5. श्याना पुत्री भंवरलाल पत्नी लक्ष्मण, जाति गुर्जर नि. ढाल, नसीराबाद,
6. सुगनी पुत्री भंवरलाल पत्नी उगमा उर्फ उदा जाति गुर्जर नि. नारेली, अजमेर,
7. मतिया पत्नी मंगला,
8. जीवराज ना.बा. पुत्र मंगला
9. भीमराज पुत्र मंगला ना.बा.
10. बादाम पुत्री मंगला ना.बा. जरियें संरक्षक माता मतिया,
11. पूसी पुत्री मंगला पत्नी सांवरलाल जाति गुर्जर नि. बनेवडा, नसीराबाद,
12. मगनी पुत्री मंगला पत्नी काना,
13. मनभर पुत्री मंगला पत्नी सत्यनारायण जाति गुर्जर नि. ढाल, नसीराबाद,
14. लाडा पुत्री मंगला पत्नी जसराज नि. मण्डियानी, नसीराबाद,
15. उप पंजीयक, नसीराबाद,
16. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 13 अनुपस्थित
15 व 16 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 व धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:54 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक :– 12.2.25

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के चौसाला खसरा नम्बर 325 रकबा 3–2–0 के वंकिंग खसरा नम्बर 410 के हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 50 की आराजी वादीगण की पुश्तैनी सह खातेदारी/सह काश्तकारी की है। चौसाला खसरा

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नम्बर 325 के उत्तर–पूर्वी दिशा में चौसाला खसरा नम्बर 186 स्थित है। उत्तरी– पश्चिमी ओर खसरा नम्बर 325 व 186 के मध्य खसरा नम्बर 187 अवस्थित है। वादीगण की खातेदारी चौसाला खसरा नम्बर 325 के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 187 के बाद पूर्व में लगते हुये खसरा नम्बर 186 की भूमि अवस्थित है। चौसाला खसरा नम्बर 1886 का कुल रकबा 20–3–10 था, जिसके वंर्किग खसरा नम्बर 195 रकबा 5–17–0 व 196 रकबा 14–6–0 बनाये गये, जिनमें से वंर्किग जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 196 मिन रकबा 7–3–0 के खातेदार सांवरा पुत्र हजारी द्वारा भंवरलाल व मंगला पि. हजारी जाति गुर्जर को विक्रय की गयी। जिसके आधार पर नामान्नतकरण संख्या 73 दिननांक 6.12.20 को तस्दीक किया गया। हाल खसरा नम्बर 263/1945 ररकबा 0.11 राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दिया। हाल खसरा नम्बर 263/1945 रकबा 0.11 है. की आराजी तर्क किया जाकर वादीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 263 का नक्शा दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 0.50 की आराजी वादीगण की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 263/1945 रकबाा 0.11 प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। चौसाला राजस्व मानचित्र में चौसालाा खसरा नम्बर 325 का राजस्व मानचित्र सहीी अंकित है। उक्त मानचित्र में खसरा नम्बर 325 की उत्तरी–पूर्वी सीमा खसरा नम्बर 186, 1857 से लगती हुयी है। उक्त चौसाला खसरा नम्बर 325 के वंर्किग खसरा नम्बर 410 के वंर्किग मानचित्र में खसरा नम्बर 410 की उत्तरी–पूर्वी सीमा में खसरा नम्बर 410 का रकबा कम करते हुये खसरा नम्बर 196 का रकबा अधिक कर दिया है। इसी प्रकार हाल खासरा नम्बर 263 जो वादी की खातेदारी का हहै के रकबे में प्रतिवादी का खसरा नम्बर 263/1945 भी अंकित कर दिया है। वादीगणा की खातेदारी का रकबा कम कर दिया है। जबकि हाल खसरा नम्बर 263/1945 का रकबा चौसाला खसरा नम्बर 186 की सीमा तक ही अंकित करना था। चौसाला मानचित्र की तुलना में हाल मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रतिवादीगण प्रकररण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने भी वाद का कोई खण्डन नही किया है। पत्रावली में वाद के तथ्यों का कोई खण्डन नही है। वादीगण राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडी में स्थित आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 0.50 व 263/1445 रकबा 0.11 की आराजी पर वादी का वाद पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के चौसाला व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कमला देवी बनाम जतन वगै.

दावा बाबत :– 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राज. अधि. 1956
राजस्व मुकदमा नम्बर – 165/2024
पेश करने की दिनांक – 08.088.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडी में स्थित आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 0.50 व 263/1445 रकबा 0.11 की आराजी पर वादी का वाद पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के चौसाला व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 2 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद